न्यायालय
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 601/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. ज़सकरण सिह पुत्र बहादुर सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. राजकरण सिह पुत्र बहादुर सिह जाति ज़टसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

बनाम्

—वादी

1. बहादुर सिह पुत्र मुखत्यार सिह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री नवरत्न स्वामी एडवोकेट (वादीगण)
2. ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट (प्रति.सं. 1)

निर्णय

दिनांकः— 15.1.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी नं 1 चक नं 1 एस.टी.पी खाता सख्या 69/12 मे कुल खाता 3.834 है. के विरास्तन खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबंदी हमराह दावा प्रस्तुत है। यह कि उक्त समस्त कृषि भूमि हमारी विरास्तन है जिसमे हम वादीगण का जन्मजात हक व हिस्सा है। हम वादीगण अपने—अपने परिवार सहित पिता प्रतिवादी नं 1 से अलग रहते है। हमारा मुख्य पेशा कृषि है किन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि पिता प्रतिवादी नं 1 के नाम होने के कारण हम वादीगण को बीज, खाद आदि व भूमि विकास हेतू ऋण लेने में काफ़ी असुविधा होती है इसलिए हम वादीगण अपना जन्मजात हक व हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार एवं दावेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादी नं 1 के मध्य घरुतौर पर बटवारा हो चुका है। मुताबिक घरुबटवारा के हम वादीगण के हिस्सा मे चक नं 1 एस.टी.पी खाता सख्या 69/12 में. कुल खाता 3.834 है0 में से 2.530 है० ब.हि.ब व प्रतिवादी नं 1 के हिस्सा में 1.304 है० कृषि भूमि हिस्सा में आई है। जिसके हम वादीगण विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के हकदार एव दावेदार है। घरुबटवारा मुताबिक हम वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्नप्रकार से भूमि हिस्सा व कब्जा काश्त में आई हैः—

1. वादी संख्या 1 ज़करण सिह के हक—हिस्सा की कृषि भूमिः— चक 1 एसटीपी

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
193/123	18	18 ता 22/1.265 है. नहरी

2. वादी संख्या राजकरण सिह के हक हिस्सा की कृषि भूमि :— चक 1 एसटीपी

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
193/124	38	1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 9, 10/0.506 कुल 1.265 है.नहरी मय गै.मु.

वादीगण ने कई दफा प्रतिवादी नं 1 से अनुनय विनय की कि हमारा जन्मजात हिस्सा घरुबटवारा मुताबिक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि के हम वादीगण को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड मे हमारे नाम से अमल दरामद करवा दो, किन्तु प्रतिवादी पहले तो टाल मटोल

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

करता रहा एवं अंत मे पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया बस यही विनाय दावा है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित समस्त कृषि भूमि हमारी विरास्तन है जिसमे हम वादीगण का जन्मजात हिस्सा है हम वादीगण अपने पिता प्रतिवादी नं 1 से अलग रहकर घरुबटवारा मुताबिक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि पर काश्त करते है इसलिए हम वादीगण को भूमि काश्त हेतू बीज, खाद के लिये ऋण की आवश्यकता बनी रहती है। अत हम वादीगण को घरुबटवारा मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि का विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित नही किया गया तो हम वादीगण को कभी न पुरा होने वाला नुक्सान होगा जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी प्रकार से धन से न हो सकेगी। प्रतिवादी नं 2 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया है इन से किसी प्रकार को डायरेक्ट अनुतोष नही चाहा गया है। दावा बाबत इस्तकरार हक व खाता तक्सीम का है जो उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है व अंदर मियाद है।

लिहाजा वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमावे कि वादीगण चक 1 एसटीपी खाता संख्या 69/12 मे से 2.530 है. बहिब के विरास्तन खातेदार काश्तकार उपरोक्त वाद पत्र की चरण संख्या 6 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रति.सं. 1 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 2 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 1 एस.टी.पी.खाता सं. 69/11 की जमाबंदी प्रदर्श 1 व इसी चक का नामान्तरण संख्या 281 दिनांक 30.05.2009 प्रदर्श–2 करवाये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 1 एसटीपी खाता संख्या 69/12 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 3.834 हैक्ट. कृषि भूमि बहादुर सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने नामान्तरण संख्या 281 दिनांक 30.05.2009 की प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 2 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 बहादुर सिह के पुत्र है वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 2 से पैतृक साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

कलक्टर एवं
उप अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 1 एसटीपी के खाता संख्या 69/12 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादीगण को 2.530 है. बहिब कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किया जाकर वादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1 वादी संख्या 1 जकरण सिह के हक–हिस्सा की कृषि भूमि:– चक 1 एसटीपी

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
193/123	18	18 I 22/1.265 है. नहरी

2 वादी संख्या राजकरण सिह के हक हिस्सा की कृषि भूमि :– चक 1 एसटीपी

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
193/124	38	1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गै. मु.रास्ता, 9, 10/0.506 कुल 1.265 है.नहरी मय गै.मु.

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.2.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी नरैना